न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 12 / 2024

श्री मिश्री लाल मीणा निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 7.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट को आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

राजस्व ग्राम चारनेट के खसरा नं. 2, 3, 5, 19 ,4, 16 व 813 पर अतिक्रमियों के खिलाफ दिनांक 22.01.2024 की कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली 90 दिन की सजा सहित।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट को पत्र क्रमांक 321 दिनांक 18.03.2024, 377 दिनांक 28.03.2024, 391 दिनांक 16.04.2024 व 403 दिनांक 24.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा पत्र क्रमांकः 595 दिनांक 22.03.2024 से जवाब (जो न्यायालय हाजा में दिनांक 6.05.2024 को प्राप्त हुआ है) प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये वाट्स अप नम्बर 9950668869 पर प्रेषित किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी द्वारा जरिये वाट्सअप रसीद प्रेषित कि है। अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 2, 3, 4, 5, 16, 19 व 813 के सबंध में सूचना चाही गई है, परन्तु जवाब में खसरा नम्बर 813 का उल्लेख नही है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को खसरा नम्बर 813 के संबंध में सूचना अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उपलब्ध नही करवाई गई। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित (खसरा नम्बर 813 के संबंध मे भी)सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट खसरा नम्बर 813 की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के

जिला कलेक्टर
टोंक

तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार नगरफोर्ट तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)